आई एस एस एन 0971-9873

आई सी एम आर पत्रिका

वर्ष-30, अंक-8 अगस्त 2016

इस अंक में

- 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई सी एम आर मुख्यालय में ध्वजारोहण 57
- खतरनाक व्यवसाय और बाल मजदूर 58
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के समाचार 62
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता में सम्पन्न एवं भावी संगोष्ठियां/सेमिनार/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/सम्मेलन 63

संपादक मंडल

अध्यक्ष — डॉ सौम्या स्वामीनाथन
सचिव, भारत सरकार
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं
महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

प्रमुख, प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग — डॉ विजय कुमार श्रीवास्तव

संपादक — डॉ कृष्णानन्द पाण्डेय

प्रकाशक — श्री जगदीश नारायण माथुर

70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई सी एम आर मुख्यालय में ध्वजारोहण

भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2016 को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार की सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की महानिदेशक डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने आई सी एम आर मुख्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राष्ट्रगान का गायन किया। डॉ स्वामीनाथन ने लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधान मंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए आई सी एम आर मुख्यालय के साथ देश भर में स्थित इसके 32 शोध संस्थानों/केन्द्रों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से एक-दूसरे के पारस्परिक सहयोग में कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने काम के प्रति उत्तरदायित्व और पारदर्शिता निभाने पर भी जोर दिया। महानिदेशक महोदया ने कहा कि "आई सी एम आर" के विकास के लिए उसके प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण है, सभी को मिलकर कर्त्तव्यनिष्ठ और कठिन परिश्रम के साथ अपना योगदान देने की आवश्यकता है तभी आई सी एम आर के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है और हम देशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं।

अंत में महानिदेशक महोदया ने आई सी एम आर मुख्यालय के साथ-साथ इसके संस्थानों के सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के अवसर पर बड़ी संख्या में आई सी एम आर मुख्यालय के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति थी। इस अवसर पर आई सी एम आर के वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशासन) डॉ राकेश कुमार और वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार सुश्री ॠतु ढिल्लों की भी उपस्थिति रही।

खतरनाक व्यवसाय और बाल मजदूर

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत बाल श्रम सभाओं और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार 18 वर्ष की आयु बाल्यकाल और वयस्ककाल के बीच विभाजन की आयु होती है। हालांकि, अनेक सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मामलों में यह आयु घटती और बढ़ती बताई गई है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यकाल की श्रेणी में रखते हुए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करने का निर्धारण किया गया है। जबकि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यकाल की श्रेणी में रखा गया है।

बाल श्रम

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सभा संख्या 138 के अनुसार अलग-अलग प्रकार के रोजगार के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार किया गया है : 15 वर्ष : साधारण कार्य के लिए; 18 वर्ष : जोखिम भरा/खतरनाक कार्य के लिए; और 13 वर्ष : हल्के कार्य के लिए। हालांकि, देशों को साधारण कार्य के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 16 वर्ष और विकासशील देशों को साधारण कार्य के लिए न्यूनतम आयु घटाकर 14 वर्ष और हल्के कार्य के लिए 1 वर्ष घटाकर 12 वर्ष करने का विकल्प प्राप्त है। खतरनाक कार्यों से जुड़े बच्चों के स्वास्थ्य को अत्यधिक खतरा होने के कारण उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विश्व में खतरनाक कार्यों से जुड़े बच्चों की स्थिति

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में खतरनाक कार्यों से जुड़े बच्चों की संख्या और अनुपात में भिन्नता हो सकती है (सारणा 1)। एशिया और पैसिफिक देशों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। जबकि सहारा के नीचे स्थित अफ्रीकी देशों में कुल संख्या में बच्चों के अनुपात में खतरनाक कार्यों से जुड़े बच्चों का अनुपात बहुत बड़ा है।

सारणी-1 : खतरनाक कार्यों से जुड़े 5-17 वर्षीय बच्चों की क्षेत्रवार संख्या और प्रतिशत (2008)

क्षेत्र	बच्चों की कुल संख्या (000)	खतरनाक कार्य (000)	घटना दर %
विश्व	1586288	115314	7.3
एशिया और पैसिफिक देश	853895	48164	5.6
लैटिन अमरीका और कैरीबियन देश	141043	9436	6.7
सब-सहारा के अफ्रीकी देश	257108	38736	15.1
अन्य क्षेत्र	334242	18978	5.7

बच्चों द्वारा खतरनाक कार्य

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सभा संख्या 182 में स्वास्थ्य के प्रति जोखिमपूर्ण कार्य को सबसे खराब की श्रेणी में रखते हुए बच्चों को इस प्रकार के कार्यों से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है। इन कार्यों में सम्मिलित हैंः (अ) गुलामी अथवा उससे मिलती स्थितियां जैसे कि बच्चों को बेचना, कर्ज देकर बंधुआ बनाना, कृषि कार्य के लिए दासता और बलपूर्वक मजदूरी कराना अथवा युद्ध के लिए भरती करना; (ब) वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य तैयार करने के लिए बच्चे से अश्लील गतिविधि कराना; (स) अवैध गतिविधियों विशेषतया मादक औषधियों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति करने में बच्चों को संलिप्त कराना; (द) ऐसे कार्य जो बच्चों के स्वास्थ्य, मनोबल अथवा उनकी सुरक्षा के प्रति जोखिमपूर्ण हों।

वर्ष 1999 में संपन्न सभा सं. 182 से बच्चों के अवैध व्यापार सहित प्रथम तीन कार्यों पर काफी ध्यानाकर्षण हुआ है। परन्तु बच्चों के स्वास्थ्य, मनोबल एवं उनकी सुरक्षा के प्रति हानिकारक प्रभाव डालने वाले कार्यों पर बहुत ही कम ध्यान आकर्षित होना खेदपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ष 1999 की सिफारिश (संख्या 190) में बच्चों के लिए कुछ प्रतिबंधित कार्यों का संकेत दिया गया है। जैसे कि ऐसे कार्य जिसमें बच्चों का शारीरिक, भावात्मक अथवा यौन शोषण का संभावित खतरा हो; ऐसे कार्य जो जमीन के नीचे हों, पानी के अन्दर हों, खतरनाक ऊंचाई पर हों अथवा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित हों; खतरनाक मशीनों, उपकरणों और यंत्रों के साथ काम करना अथवा भारी बोझ को स्वयं उठाना अथवा रखना स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल परिवेश में कार्य करना जैसे कि खतरनाक द्रव्यों, कारकों अथवा प्रक्रियाओं अथवा उच्च ताप, तीव्र ध्वनि, कम्पन से प्रभावित होना जो उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हों, लम्बी अवधि तक अथवा रात्रि में कार्य करना अथवा ऐसे कार्य करना जिसमें प्रतिदिन घर वापसी संभव नहीं हो।

बाल श्रम के कारण

गरीबी : बाल श्रम के निर्धारण में निर्धनता और आर्थिक भार की एक स्पष्ट भूमिका होती है। ब्राज़ील से विश्व बैंक को मिले ताजा परिणामों से पता चला है कि अल्प आयु में श्रमिक बन जाने से जीवन काल में लगभग 13-20 प्रतिशत तक की कमाई घट जाती है जिससे बाद के जीवन काल में गरीबी की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है।

जनसंख्या वृद्धि : कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में अतिवृद्धि से संसाधनों में कमी आ जाती है। सीमित साधनों और घर के सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में बच्चे रोजगार से जुड़ जाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है। यह स्थिति एशियाई और अफ्रीकी देशों में अधिकांशतः देखी जाती है।

औद्योगिक क्रान्ति : औद्योगिक क्रान्ति के चलते भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। विकासशील देशों में कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बाल मजदूरों को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि कम वेतन देकर उनसे अधिक कार्य लिया जा सकता है और उनका कोई संघ

चित्र 1. होटलों और ढाबों में अधिकांशतः बाल मजदूर कार्य करते हैं

चित्र 2. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बाल मजदूर

(यूनियन) भी नहीं होता है। इससे वयस्कों को रोजगार मिलने में कठिनाई होती है जिससे वे अपने बच्चों से रोजगार कराने को मजबूर हो जाते हैं।

बाल रोजगार को रोकने के लिए संविधान में व्यवस्था

अनुच्छेद 21ए : शिक्षा का अधिकार : राज्य 6 से 14 वर्षीय सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 2ए : कारखानों, आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध : चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान अथवा किसी अन्य खतरनाक कार्यों से जुड़े रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 39 : राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों, पुरुषों और महिलाओं तथा अल्प आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो, अल्प आयु एवं दुर्बल बच्चों को आर्थिक आवश्यकता के दबाव में रोजगार पर नहीं लगाया जाए। सभी बच्चों को एक स्वस्थ परिवेश में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बचपन और युवा काल में उनका शोषण नहीं किया जाए।

अनुच्छेद 45 : छः वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बालकाल सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था : जब तक बच्चा 6 वर्ष तक का नहीं हो जाए, तब तक शुरुआती बालकाल में सुरक्षा और शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का होगा।

बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करना : बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 : इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चा (बालक अथवा बालिका) का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 14 वर्ष नहीं पूरी हुई हो। इस अधिनियम में 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में बच्चों के लिए रोजगार प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को रोजगार पर लगाता है तो उसे कम से कम तीन माह कैद की सजा हो सकती है, जो बढ़ाकर 1 वर्ष तक की जा सकती है अथवा साथ में कम से कम 10,000 रुपए का आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है। आर्थिक दण्ड की राशि 20,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा खदान, कारखाना, समुद्री जहाज, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी एवं सिगार उत्पादन जैसे विभिन्न व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से रोजगार कराना निषेध है।

बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कदम

- बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए रोजगार प्रतिबंधित है।
- इस अधिनियम के पालन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को है।
- भारत संघ द्वारा समय-समय पर इसके अनुपालन पर निगरानी रखी जाती है। अनुपालन और जागरूकता पैदा करने पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं।
- इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों को भी संदिग्ध प्रवासी और अवैध व्यापार में प्रयुक्त बच्चों के हित के लिए सुग्राही बनाया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची

भाग 1. व्यवसाय (गैर औद्योगिक गतिविधि)

कोई व्यवसाय जो निम्न से संबद्ध होः

1. रेल के माध्यम से यात्रियों, सामानों अथवा मेल का परिवहन;
2. रेल परिसर में राख उठाने, उसकी सफाई करने अथवा बिल्डिंग संचालन;
3. किसी रेलवे स्टेशन पर खान-पान सेवा (कैटरिंग) स्थल पर कार्य जिसमें वेण्डर (विक्रेता) अथवा कैटरिंग सेवा का कोई कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आता-जाता हो, अथवा चलती ट्रेन के अन्दर आता हो अथवा बाहर जाता हो;

4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से जुड़ा कार्य अथवा रेलवे लाइंस के आस-पास या दो लाइंस के बीच संचालित कोई अन्य कार्य;
5. किसी पोर्ट की सीमा के भीतर एक पोर्ट अथॉरिटी;
6. अस्थाई लाइसेंस के साथ दुकानों में पटाखों के विक्रय से जुड़ा कार्य;
7. बूचड़खाना/बधशाला;
8. मोटर वर्कशॉप और गैरेज;
9. ढलाईघर;
10. विषाक्त अन्यथा ज्वलनशील पदार्थों अथवा विस्फोटकों का रख-रखाव;
11. हैण्डलूम और पावरलूम उद्योग;
12. खदानें (भूमिगत और पानी के भीतर) और कोयला खदानें;
13. प्लास्टिक की इकाइयां और फाइबरग्लास की कार्यशालाएं;
14. घरेलू कार्यकर्ता अथवा नौकर;
15. ढाबा, रेस्तरां, होटल, मोटेल, चाय की दुकान, रिज़ॉर्ट्स, स्पा और अन्य मनोरंजन संबद्ध केन्द्र;
16. गोता लगाने का कार्य;
17. हाथी की सेवा से जुड़े कार्य;
18. सरकस में कार्य करना;

भाग 2

प्रक्रियाएं (औद्योगिक गतिविधि)

1. बीड़ी बनाना;
2. कालीन बुनाई, जिसमें शुरुआती कार्य और बाद के कार्य सम्मिलित;
3. सीमेंट निर्माण, एवं उसे बोरी में भरना;
4. कपड़े की बुनाई, प्रिंटिंग और रंगाई;
5. माचिस, विस्फोटक और पटाखे का निर्माण;
6. माइका की कटिंग और उसे चीरना;
7. शेलैक (लाक्षा) का निर्माण;
8. साबुन निर्माण;
9. टैनिंग;
10. ऊन की सफाई;
11. भवन निर्माण उद्योग, ग्रेनाइट पत्थरों की कटाई एवं घिसाई;
12. स्लेट-पेंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
13. अगेट उत्पादों का निर्माण;
14. सीसा, मरकरी (पारा), मैंगनीज़, क्रोमियम, कैडमियम; बेंज़ीन, पेस्टीसाइड्स और एस्बेस्टॉस जैसे विषाक्त पदार्थों एवं धातुओं युक्त निर्माण प्रक्रिया;
15. खतरनाक प्रक्रियाएं;
16. प्रिंटिंग;
17. काजू और काजू के छिलके को निकालने की प्रक्रिया;
18. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सोल्डरिंग प्रक्रियाएं;
19. अगरबत्ती निर्माण;
20. ऑटोमोबाइल रिपेयर (मरम्मत) का कार्य; वेल्डिंग, डेंटिंग और पेंटिंग कार्य सहित;
21. ईंट भट्ठा और छत की टाइल्स की निर्माण इकाइयां;
22. रुई की ओटाई और उससे होज़िएरी वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया;
23. डिटर्जेंट निर्माण;
24. फैब्रीकेशन (फेरस और नॉन-फेरस) से संबंधित कार्य;
25. रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग;
26. क्रोमाइट और मैंगनीज़ ओर्स के रख-रखाव से जुड़े कार्य;
27. जूट टेक्स्टाइल्स निर्माण और कॉयर बनाना;
28. चूना भट्ठा और चूना निर्माण;
29. ताला निर्माण;
30. निर्माण प्रक्रियाओं में सीसा (लेड) से प्रभावित होना, जैसे कि सीसा की परत चढ़ी धातुओं का प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रगलन, उसकी वेल्डिंग और कटाई, क्रिस्टल ग्लास को हाथ द्वारा मिलाना, एनैमलिंग कार्यशालाओं में सीसे को जलाना, सीसे की खदान, केबल निर्माण, लेड कास्टिंग, स्टोर टाइपसेटिंग, कार एसेम्बलिंग।
31. सीमेंट की पाइप, सीमेंट उत्पादों का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य।
32. ग्लास और ग्लास से बने सामानों का निर्माण जैसे कि चूड़ियां, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, बल्ब्स एवं इसी तरह की ग्लास निर्मित अन्य वस्तुएं।
33. रंग (डाई) और रंग से जुड़े उत्पादों का निर्माण।
34. पेस्टीसाइड्स और कीटनाशियों का निर्माण और उनका रख-रखाव।
35. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में संक्षारक और विषाक्त पदार्थों का निर्माण अथवा उनका रखरखाव, धातुओं की सफाई एवं फोटो पर उकेरना तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सोल्डरिंग प्रक्रिया।
36. जलावन कोयला और कोल ब्रिकेट्स का निर्माण।
37. कृत्रिम पदार्थों, रसायनों और चमड़ा युक्त खेल वस्तुओं का निर्माण।
38. फाइबरग्लास और प्लास्टिक की मोल्डिंग और प्रसंस्करण।
39. तेल का निष्कासन और शोधन
40. पेपर बनाना
41. पॉट्रीज़ और सेरामिक उद्योग
42. पीतल धातु की कटिंग, मोल्डिंग, वेल्डिंग और पीतल की वस्तुओं का निर्माण
43. कृषि कार्य जिसमें ट्रैक्टर द्वारा थ्रेसिंग की जाती है, मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है।
44. आरा मिल-इससे जुड़े सभी कार्य।
45. रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) से जुड़े कार्य।

46. जानवरों से चमड़े उतारना, उनकी डाइंग और चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों का निर्माण।
47. पत्थर तोड़ना और पत्थर की पिसाई।
48. तम्बाकू एवं तम्बाकू पेस्ट का निर्माण सहित तम्बाकू का प्रसंस्करण तथा किसी भी रूप में तम्बाकू का रख-रखाव।
49. टायर का निर्माण, उसकी रिपेयरिंग, री-ट्रेडिंग।
50. बर्तन, निर्माण, उन पर पॉलिश करना।
51. ज़री बनाना और उससे जुड़े सभी कार्य।
52. इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
53. ग्रेफाइट का पाउडर तैयार करना।
54. धातुओं की घिसाई और परत चढ़ाना।
55. हीरे (डायमण्ड) की कटाई और उस पर पॉलिश करना।
56. खदानों से स्लेट निकालना।
57. कूड़ा उठाना और सफाई करना।
58. अत्यधिक गर्मी (जैसे भट्ठी के समीप कार्य करना) अथवा अत्यधिक सर्दी के प्रभाव में कार्य करना।
59. मशीनी नाव से मछली पकड़ना।
60. खाद्य प्रसंस्करण।
61. पेय पदार्थ का उद्योग।
62. लकड़ी का रख-रखाव और लदान।
63. यांत्रिक सहायता में लकड़ी का ढेर लगाना।
64. वेयरहाउसिंग
65. स्लेट-पेंसिल उद्योग, पत्थर की पिसाई, स्लेट पत्थर की खदान, पत्थर की खदान और अगेट उद्योग आदि से मुक्त सिलिका से प्रभावित होना।

वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाल मजदूर की स्थिति

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 5-14 वर्षीय आयु वर्ग के 25.2 करोड़ बच्चों में बाल मज़दूरों की संख्या 1.26 करोड़ थी। लगभग 12 लाख बच्चे ऐसे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत थे जो बाल मज़दूर (निषेध एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्षीय बाल मजदूरों की संख्या घटकर 43.53 लाख हो गई। इस प्रकार भारत में बाल मजदूरों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसकी संख्या को और घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार की नीतियां और कार्यक्रम

भारत के विकास लक्ष्यों और नीतियों के अनुकरण में बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के अनुपालन में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अपनाई गई। इसके अन्तर्गत बच्चों के हित में यथा संभव सामान्य विकास कार्यक्रमों को केन्द्रित किया गया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 1988 से बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। शुरुआत में ये परियोजनाएं उद्योगों में कार्यरत बाल मजदूरों के पुनर्वास पर केन्द्रित थीं। वर्ष 1994 में इन परियोजनाओं में बाल मजदूर की बहुलता वाले जिलों में खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल मजदूरों के पुनर्वास को सम्मिलित किया गया। इन परियोजनाओं में बाल मजदूरों के लिए अनौपचारिक शिक्षा देने और उनके कौशल विकास के लिए विशेष विद्यालय खोले गए; अतिरिक्त रोजगार के अवसर विकसित किए गए; जन साधारण में जागरूकता पैदा की गई; तथा बाल मजदूरी से जुड़े सर्वेक्षण किए गए और जारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के संचालन से मिले उत्साहजनक परिणामों के आधार पर 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में इसे देश भर में और विस्तारित किया गया। स्वास्थ्य के प्रति खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने 9वीं योजना के दौरान 2.5 बिलियन रुपए आबंटित किए जिसे 10वीं योजना के दौरान बढ़ाकर 6.00 बिलियन रुपए किया गया। दसवीं योजना के दौरान 5-9 वर्षीय बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सीधे पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 9-14 वर्षीय बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अन्तर्गत विशेष विद्यालयों में भरती किया गया जिसमें स्वास्थ्य के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान इस परियोजना में 6-14 वर्षीय आयु वर्ग के सभी बच्चों को भरती करना सुनिश्चित किया गया जिसमें सुदूर क्षेत्रों में स्थित बच्चे भी सम्मिलित किए गए। इस योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन के अंतर्गत 18 वर्षीय आयु वर्ग के सभी लोगों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया जिससे उनके प्रति उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकें और उसी के तद्नुसार उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

निष्कर्ष

बाल मज़दूर समस्या लगभग सभी विकासशील देशों में व्याप्त है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अल्प आयु के बच्चों को तरह-तरह के रोजगारों में झोंक दिया जाता है, जिनमें अधिकांश स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त खतरनाक होते हैं। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने के लिए बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 का गठन किया गया। ऐसे बच्चों के पुनर्वास और उनकी शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के परिणामस्वरूप न केवल बाल श्रम में गिरावट दर्ज की गई बल्कि विभिन्न व्यवसायों/उद्योगों में कार्यरत बच्चों को खतरनाक स्वास्थ्य परिणामों से बचाया भी जा सका। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करके न केवल उन्हें व्यवसाय से जुड़े खतरों से बचाया जा सकता है बल्कि उन्हें स्वावलम्बी भी बनाया जा सकता है।

यह आलेख आई सी एम आर के अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रकाशित *एनविस एन आई ओ एच न्यूज़लेटर* के जनवरी-मार्च, 2016 अंक में *"चिल्ड्रेन इन हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन"* शीर्षक से प्रकाशित लेख पर आधारित है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के समाचार

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विभिन्न तकनीकी दलों/समितियों की नई दिल्ली में सम्पन्न बैठकें

भारत में चिकित्सीय परीक्षणों के लिए क्षमता निर्माण	1 अगस्त, 2016
पोषण पर आई सी एम आर टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक	2 अगस्त, 2016
भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान अधिवेशन के लिए प्रारंभिक बैठक	2 अगस्त, 2016
डॉ सी. जी. पण्डित राष्ट्रीय चेयर, आई सी एम आर के लिए चयन समिति की बैठक	2 अगस्त, 2016
बी एम एस प्रभाग में फेलोशिप के लिए विशेषज्ञ दल की बैठक	2 अगस्त, 2016
शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र की परियोजना की समीक्षा बैठक	3 अगस्त, 2016
IMPRINT- हेल्थकेयर के अन्तर्गत प्रस्तावों की समीक्षा हेतु बैठक (आई टी आर)	4 अगस्त, 2016
ई सी डी - I प्रभाग के अन्तर्गत विशेषज्ञ दल एवं कार्यकारी दल की बैठक	8-9 अगस्त, 2016
2-5 और 2 वर्ष से कम आयु वर्ग में आई एफ ए कार्यक्रम के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ दल की बैठक	10 अगस्त, 2016
मृतजात (स्टिलबर्थ्स) पर परियोजना समीक्षा समिति की बैठक	10 अगस्त, 2016
वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाले रोगों पर नीति अनुसंधान केन्द्र पर चर्चा करने हेतु बैठक	11 अगस्त, 2016
टी. बी. अनुसंधान केशोर्शियम की बैठक	11 अगस्त, 2016
बैंगलोर में उन्नत अनुसंधान केन्द्र NIMHANS (CAR) वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक	12 अगस्त, 2016
नेशनल स्ट्रोक क्लीनिकल रिसर्च/ट्रायल नेटवर्क की स्थापना पर टास्क फोर्स दल की बैठक	12 अगस्त, 2016
प्रतिरक्षाविज्ञान, प्रत्यूर्जता और जीवरसायन विषय में परियोजना समीक्षा समिति की बैठक	17 अगस्त, 2016
CVD के क्षेत्र में परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	22 अगस्त, 2016
विकलांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में परियोजना पुनरीक्षण समिति की बैठक	23 अगस्त, 2016
क्षयरोग अनुसंधान कंशोर्शियम की बैठक	23 अगस्त, 2016
प्रयोगशाला में वाइल्ड पोलियो वायरस के संशोधन पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक	24 अगस्त, 2016
दिल्ली में तीव्र श्वसनी लक्षणों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव - एक बहु केन्द्रीय अध्ययन पर बैठक	26 अगस्त, 2016
डेंगी पर टास्क फोर्स की बैठक	29 अगस्त, 2016
एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु आई सी एम आर - आयुष संयुक्त उन्नत अनुसंधान केन्द्र के लिए कॉनसेप्ट नोट हेतु बैठक	29 अगस्त, 2016

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता में सम्पन्न एवं भावी संगोष्ठियां/सेमिनार/कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/सम्मेलन

विषय	दिनांक एवं स्थान	सम्पर्क के लिए पता
ENDOFERT-2016 एंडोस्कोपी और बांझपन बुनियादी और उन्नत दिल्ली स्त्रीरोग एंडोस्कोपी समाज का वार्षिक सम्मेलन	5-7 अगस्त, 2016 नई दिल्ली	**डॉ गरिमा कछावा** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली
भौगोलिक सूचना प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सेमिनार	12 अगस्त, 2016 कोइम्बटूर	**डॉ जे. सुगंथी** हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोइम्बटूर
ENDOPEDIA-II पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	13-14 अगस्त, 2016 जबलपुर	**डॉ हिमांशु आचार्य** एन एस सी बी मेडिकल कॉलेज जबलपुर
WTC. 2016, भारतीय ट्रामा एवं तीव्र सुरक्षा संस्था (ISTAC) का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सी एम ई एवं लाइव कार्यशाला	17-20 अगस्त, 2016 नई दिल्ली	**डॉ अमित गुप्ता** JPNATC अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली
डाक्टरेट अनुसंधान के क्षेत्र में मुद्दों और चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	25 अगस्त, 2016 ग्वालियर	**डॉ वाई. सी. गोस्वामी** आई टी एम यूनिवर्सिटी ग्वालियर
नर्सिंग के साथ-साथ कक्षा में शिक्षणः नर्सिंग शोध के प्रयोग के पुनरुज्जीवन पर सेमिनार	29-30 अगस्त, 2016 दीमापुर, नागालैण्ड	**डॉ क्रिस्टीसिम्पसन** कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइसेज़ ऐण्ड रिसर्च दीमापुर, नागालैण्ड
उत्तम क्लीनिकल अभ्यास (जी सी पी) 2016 पर राष्ट्रीय कार्यशाला	29-30 अगस्त, 2016 कोल्लम (केरल)	**डॉ सुधा एम. जे.** अज़ीज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ ऐण्ड रिसर्च कोल्लम (केरल)
भारतीय उष्णकटिबंधीय परजीवी विज्ञान एकेडमी का प्रथम राजस्थान चैप्टर	2-3 सितम्बर, 2016 जोधपुर	**डॉ विजया लक्ष्मी नाग** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर (राजस्थान)

भारतीय ऑकुलर ट्रामा सोसाइटी का 10वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन-OTISI-2016	3-4 सितम्बर, 2016 कोइम्बटूर	**डॉ रोडनी जे. मोरिस** अरविंद आई हास्पिटल ऐण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थैल्मोलॉजी कोइम्बटूर
डिजिटल पैथोलॉजी में जैव चिकित्सा छवि प्रसंस्करण पर संगोष्ठी	7-8 सितम्बर, 2016 कोइम्बटूर	**डॉ एम. सबरीगिरि राज** एस वी एस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोइम्बटूर
मधुमेह की देखभाल और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों पर सेमिनार	8-9 सितम्बर, 2016 कोइम्बटूर	**डॉ आर. वानी थामनी** अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस ऐण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन कोइम्बटूर
ई-स्वास्थ्य में प्रौद्योगिकी की लागत प्रभावी उपयोग पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय सी एम ई (CEUTEH-2016)	8-10 सितम्बर, 2016 नई दिल्ली	**डॉ दीपक अग्रवाल** JPNATC, AIIMS नई दिल्ली
नर्सों के लिए शोध संभाव्य वैज्ञानिक शोध पत्र लेखन और प्रकाशन एथिक्स पर सेमिनार	9-10 सितम्बर, 2016 नेल्लोर	**डॉ इंदिरा अरुमुगम** नारायण कॉलेज ऑफ नर्सिंग नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)
खोज से मृत्यु तक चिकित्सीय परीक्षणों का पुनरुज्जीवन तथा बायोएथिक्स के साथ शोध पर सेमिनार	9-10 सितम्बर, 2016 गोवा	**श्रीमती जे. सिवाकामी** वृन्दावन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजूकेशन गोवा
बायोमेकैनिक्स और पुनर्वास इंजीनियरिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन (BIOREHAB-2016)	15-16 सितम्बर, 2016 शिलांग	**डॉ दिनेश भाटिया** नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग (मेघालय)
मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के चिकित्सकों के लिए विखण्डित मनस्कता के लिए उपचार किए गए माता-पिता के बच्चों के लिए इंटरवेंशन की आवश्यकता पर जागरूकता हेतु राष्ट्रीय सेमिनार	16 सितम्बर, 2016 बैंगलोर	**अनुराधा एस.** क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर
परदे के पीछे : घरेलू हिंसा, पूर्वाग्रह अथवा समाज का मिथ्याचार पर सेमिनार	16-17 सितम्बर, 2016 मुम्बई	**श्रीमती अवनी ओक** के. जे. सोमैया कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग मुम्बई

आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन	16-17 सितम्बर, 2016 नई दिल्ली	**प्रो. एस. सी. त्यागी** इंटरनेशनल डेवेल्पमेंट सेंटर फाउण्डेशन (IDC फाउण्डेशन) वसुन्धरा (गाज़ियाबाद) यू.पी.
पशु प्रयोगशाला का रखरखाव एवं उनके अनुसंधान पर कार्यशाला	21-23 सितम्बर 2016 चेन्नई	**डॉ आर. सेल्वाराज** सेंटर फॉर लेबोरेटरी एनीमल टेक्नोलॉजी ऐण्ड रिसर्च सत्यमा यूनिवर्सिटी चेन्नई
व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	23-25 सितम्बर, 2016 नई दिल्ली	**डॉ जुगल किशोर** वर्धमान मेडिकल कॉलेज ऐण्ड सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली
कला और विज्ञान के शोध पत्र लेखन पर कार्यशाला	24-25 सितम्बर, 2016 नई दिल्ली	**डॉ धीरज शाह** यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ दिल्ली
हरित नेनौप्रौद्योगिकी में ताजा प्रगति पर सम्मेलन	29-30 सितम्बर, 2016 सोलन (हिमाचल प्रदेश)	**डॉ निलाद्री शेखर घोष** बहरा यूनिवर्सिटी सोलन (हिमाचल प्रदेश)
वेक्टर और वेक्टर जनित रोगों के नियन्त्रण में उभरती प्रवृत्तियों पर संगोष्ठी	29-30 सितम्बर, 2016 त्रिची	**डॉ ए. भूपति राजा** नेहरू मेमोरियल कॉलेज पुथनमपट्टी (त्रिची) तमिल नाडु
हर्बल औषधि विकास चुनौतियों और अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य	6-7 अक्टूबर 2016 चेलाम्ब्रा मालप्पुरम (केरल)	**श्री एम. सुरेन्दर कुमार** देवकी अम्मा मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी चेलाम्ब्रा मालप्पुरम (केरल)
उभरते प्रयास, एक बेहतर कल : नर्सिंग शोध के अतीत और भविष्य के बीच पर सेतु पर सेमिनार	7 अक्टूबर, 2016 पॉण्डिचेरी	**डॉ माला रविज़ी एस.** कॉलेज ऑफ नर्सिंग पॉण्डिचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ पॉण्डिचेरी

एंटीरेट्रोवाइरल थिरैपी के लिए नैनोमेडिसिन पर उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	7-8 अक्टूबर, 2016 ऊटकमण्ड तमिल नाडु	**डॉ वी. सेन्थिल** जे एस एस कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी ऊटकमण्ड (दि नीलगिरी) तमिल नाडु
ब्रह्मपुत्र में बार-बार बाढ़ प्रभावित नदी के दीपों में कृमि संक्रमण तथा जलजन्य रोगः परम्परागत स्वच्छता प्रणाली के प्रति चुनौतियों पर राष्ट्रीय सेमिनार	15 अक्टूबर, 2016 रोहतक (हरियाणा)	**डॉ आनन्द सिंह डांगी** यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ (UHS) रोहतक (हरियाणा)
भारतीय निवारक और सामाजिक चिकित्सा संघ - उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य चैप्टर का वार्षिक सम्मेलन (IAPSMCON UP & UK-2016)	15-16 अक्टूबर 2016 बरेली	**डॉ अतुल कुमार सिंह** श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (SRMS-IMS) बरेली (यू.पी.)
आपातकालीन चिकित्सा पर 12वें भारत-अमरीका विश्व कांग्रेस	16-23 अक्टूबर, 2016 बैंगलोर	**डॉ शकुन्तला मूर्ति** सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बैंगलोर
भारतीय न्यूरो साइंस एकेडमी की 34वीं वार्षिक बैठक	19-21 अक्टूबर, 2016 मानेसर (गुड़गांव)	**प्रो. पंकज सेठ** नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर (गुड़गांव)
हकलाने के प्रबंधन और मूल्यांकन पर कार्यशाला	20-21 अक्टूबर, 2016 मैसूर	**डॉ संतोष एम.** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच ऐण्ड हियरिंग मैसूर
भारतीय नर्सिंग शोध संस्था का 20वां वार्षिक सम्मेलन, NRSICON - 2016	21-23 अक्टूबर, 2016 हल्द्वानी नैनीताल	**श्री अनिल पाराशर** पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऐण्ड मेडिकल साइंसेज़ हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)
IAPSM और IPHA का तृतीय नॉर्थ ईस्ट ज़ोनल सम्मेलन	21-23 अक्टूबर, 2016 गुवाहाटी	**डॉ जुटिका ओझा** गौहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी
स्वास्थ्य सेवा हेतु एकीकृत बायोमेडिसिन में वर्तमान प्रगति पर भारतीय जैव चिकित्सा वैज्ञानिक संस्था का 37वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन	3-6 नवम्बर, 2016 मेरठ	**डॉ जयानन्द** शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ

नैनोमेटीरियल्स और नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	4-5 नवम्बर, 2016 नई दिल्ली	**प्रो. एस. एस. इस्लाम** सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस ऐण्ड नैनोटेक्नोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली
स्वास्थ्य सुरक्षा में डेटा विश्लेषण के प्रभाव की खोज पर राष्ट्रीय कार्यशाला	7-11 नवम्बर, 2016 पोट्टापलायम (तमिल नाडु)	**डॉ एस. अप्पावु** बालामुरुगन के. एल. एन. कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पौटापलायम सिवागंगाय (तमिल नाडु)
स्वास्थ्य शोध पद्धति और साक्ष्य आधारित चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम	8-12 नवम्बर, 2016 बैंगलोर	**डॉ डेनिस ज़ैवियर** सेंट जॉस मेडिकल कॉलेज सेंट जॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर
फ्लोराइड अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का 33वां सम्मेलन	9-11 नवम्बर, 2016 हैदराबाद	**डॉ अर्जुन एल. खण्डारे** राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद (तेलंगाना)
विकिरण जीवविज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICRB 2016	9-11 नवम्बर, 2016 चेन्नई	**डॉ सतीश कुमार** अन्नामलाई एस आर एम यूनिवर्सिटी पोथेरी, चेन्नई
आखिल भारतीय कोशिका जीवविज्ञान सम्मेलन और कार्यात्मक जीनोमिक्स और एपीजिनोमिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	17-19 नवम्बर, 2016 ग्वालियर	**प्रमोद कुमार तिवारी** सेंटर फॉर जीनोमिक्स जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर (M.P.)
दाई (मिडवाइफ्स) की सेवाओं का सुदृढ़ीकरण मातृ एवं नवजात की देखभाल में वर्तमान प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन	18-19 नवम्बर, 2016 पुणे	**श्रीमती सीता देवी** सिम्बियोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे
MICROCON- 2016	23-27 नवम्बर, 2016 चण्डीगढ़	**डॉ पल्लव रे** स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़
बायोमेडिकल साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - ICBS 2016	25-26 नवम्बर, 2016 कोलकाता	**डॉ ए. एस. चक्रबर्ती** यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा कोलकाता

भारतीय यौन संचारित रोग एवं एड्स अध्ययन संघ का 40वां वार्षिक सम्मेलनः 2016 ASICON	25-27 नवम्बर, 2016 भोपाल	**डॉ अजय हलधर** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल (मध्य प्रदेश)
सड़क सुरक्षा पर सेमिनार राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण क्षेत्र में सड़क सुरक्षा उपायों के अनुकूलन के माध्यम से सड़क की चोट से रोकथाम	5 दिसम्बर, 2016 जयपुर	**डॉ आलोक कुमार माथुर** IIHMR, यूनिवर्सिटी जयपुर
सूक्ष्मजीवी औषध प्रतिरोध के आण्विक पहलुओं को ज्ञात करना - स्वास्थ्य के प्रति सूक्ष्मजीवी का एक उभरता खतरा पर कार्यशाला	5-9 दिसम्बर, 2016 पेन्नालुर	**प्रो. सुलोचना सोमसुन्दरम** श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पेन्नलुर (श्री पेरम्बुदूर टी के) तमिल नाडु
ICPMN- 2016 सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	14-15 दिसम्बर, 2016 बैंगलुरू	**डॉ प्रदीप नाइक** सर्वसुमन एसोसिएशन बैंगलुरू
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम (आई पी एच एम DP)	16-20 दिसम्बर, 2016 चण्डीगढ़	**डॉ सोनू गोयल** स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़
पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य चुनौतियों और नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICECH - 2016	21-23 दिसम्बर, 2016 तिरुपति	**प्रो. एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश)
संज्ञानात्मक ज्ञान इंजीनियरिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICCKE 2016)	21-23 दिसम्बर, 2016 औरंगाबाद	**डॉ आर. आर. देशमुख** डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

सहयोग : श्रीमती वीना जुनेजा

आई सी एम आर पत्रिका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icmr.nic.in पर भी उपलब्ध है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

सेमिनार/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए परिषद द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णतया भरे हुए केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि के आरम्भ होने की तारीख से कम से कम चार महीने पूर्व भेजे जाएंगे।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए मैसर्स रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स,
ए–89/1, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 028 से मुद्रित। पं. सं. 47196/87